भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

12.08.2026 के

तारांकित प्रश्न सं. 357 का उत्तर

तेलंगाना में रेलवे विद्यालय

***357. श्री वामसि कृष्णा गद्दाम:**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बेलमपल्ली स्थित रेलवे ईपीसी उच्च विद्यालय केवल छठी से दसवीं कक्षा तक ही कार्य कर रहा है जबकि उसमें प्राथमिक कक्षाएं बंद हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रेलवे द्वारा संचालित प्राथमिक और अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा सुविधाओं के अभाव में रेल कर्मचारी अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में भेजने के लिए विवश हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार रामागुंडम में रेलवे पीसी स्कूल, जो वर्ष 2002-03 से बंद है, को पुनः खोलने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार रामागुंडम-पेद्दापल्ली-मंचेरियल पट्टी में रेलवे द्वारा संचालित अंग्रेजी माध्यम वाला एक पूर्ण विद्यालय स्थापित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या रेल कर्मचारियों के कल्याण आधारित शैक्षिक लाभ पुनःबहाल किए जाएंगे और यदि हां, तो इसके कार्यान्वयन की समय-सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 12.08.2026 को लोक सभा में तारांकित प्रश्न सं. 357 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ङ): बेल्लमपल्ली में ईपीसी उच्च विद्यालय एक अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय है जो नर्सरी से कक्षा X तक संचालित है। यह विद्यालय रेलवे द्वारा संचालित नहीं किया जाता है, बल्कि कर्मचारी अभिभावक समिति (ईपीसी) द्वारा प्रशासित होता है।

रेलवे अपने उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत रेलवे विद्यालयों के माध्यम से शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करती है, जो विशुद्ध रूप से एक कर्मचारी कल्याणकारी उपाय है ताकि रेल कर्मचारियों के बच्चों की उन स्थानों पर, जहां अन्य एजेंसियों (सरकारी और निजी) द्वारा प्रदान की जाने वाली शैक्षिक सुविधाएं अपर्याप्त हैं, आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। रामगुंडम, पेद्दपल्ली और मंचिर्याल में, कई सरकारी और निजी विद्यालय रेल कर्मचारियों के बच्चों की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं।

उच्चतर तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा के लिए अराजपत्रित रेल कर्मचारियों (वेतनमान स्तर 4 तक) को कर्मचारी हितलाभ निधि से बाल शिक्षा भत्ता और छात्रवृत्ति जैसी शैक्षिक लाभ संबंधी योजनाएं रेल कर्मचारियों के लिए जारी हैं।
